(c) The report will be considered by Government after it has been considered by the General Body of the Share-holders of the Corporation.

SECTION OFFICERS' IN THE C.S.S.

512. SHRI SHASHI BHUSHAN BAJ-PAI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of posts in the Section Officers' Grade in the C.S.S. which are held by non-Select List Officers as on the 20th October, 1967, Ministry-wise; and

(b) the number of posts in the Section Officers' Grade lying vacant, on the 20th October, 1967 Ministry-wise ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

SELECT LIST OF SECTION OFFICERS

513. SHRI SHASHI BHUSHAN BAJ-PAI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Secretariat Service Rules, 1962, made mandatory provision for the issue of selectlist of Section Officers each year during the five years period from 1st October, 1962 to include *inter alia* the left-overs of the 1959 and 1960 C.S.S. Section Officers' Examinations;

(b) if so, how many select-lists have been issued during the period and for which years; and

(c) whether the requirements of the C.S.S. Rules have been fulfilled ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (2) No, Sir.

(b) Four, one each for the years 1963, 1964, 1965 and 1966.

(c) Yes, Sir.

1930 के लाहौर वड़यन्त्र के मामले से सम्बन्धित दस्तावेज

514. श्वी शशि मूचण बजवेयी: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1930 के लोहौर षड़यंत के मामले के बारे में, जिसमें स्वतन्त्रता संप्राम के कान्तिकारी नेताओं, अर्थात् शहीद भगत सिंह, सुखदेब, राजगुरू तथा अन्य व्यक्तियों पर लगाये गये आरोपों की सुनवाई की गई थी, न्यायालय में हुई कार्यवाही तथा न्याया-धिकरण द्वारा दिये गये निर्णय का पूरा अभिलेख भारत सरकार के पास है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसन्घानकर्ताओं को राष्ट्रीय अभिलेखागार में इन अभिलेखों को देखने की अनुमति है;

(ग) यदि ये दस्तावेज भारत सरकार के पास नहीं हैं तो इसके क्या कारण हैं और इनको प्राप्त करने के लिये सरकार ढारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस मामले में अपराधी ठहराये मए व्यक्तियों अथवा उनके परिवारों के लोगों के नाम क्या हैं, जिन्हें सरकार ने सहा-यता दी है और उनके नाम क्या हैं, जिन्होंने सहायता मांगी थी ?

शिक्षामंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ) सुचना एकत की जारही है और सभा-पटल पर रखदी जाएगी।

शहीद ऊथम सिंह के मामले से सम्बन्धित दस्तावेज

515. श्वी शशि मूषण बाजपेयी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के पास वर्ष 1940-41 में जलियांवाला बाग, अमृतसर, हत्याकाण्ड के कुख्यात कर्नल ओ० डायर को गोली से मार दियें जाने के अपराध में भारतीय स्वतन्वता संप्राम के प्रमुख सेनानी श्री ऊधम सिंह को फांसी के मामले से सम्बन्धित न्यायालय की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की प्रतियां तथा उनका निर्णय उपलब्ध है:

(ख) यदि हां, तो वे दस्तावेज किस विभाग के पास हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उन दस्तावेजों, अथवा उनकी प्रतियों को प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, तथा इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार को उन दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिये कोई निदेश दिये गये हैं या दिया जा रहा है;

(ङ) क्या शहीद ऊधम सिंह के परिवार के सदस्यों को सरकार द्वारा कोई सहायता दी गई थी अथवा दी जा रही है; झौर

(च) क्या उनके परिवार के किसी सदस्य ने ऐसी सहायता की मांग की थी और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और समा-पटल पर रख दी जाएगी।

सोहनलाल पाठक के मुकदमे सम्बन्धी अभिलेख

516. श्री शशि भूषण बाजपेयी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में भारतीय क्रान्ति-कारी गदर पार्टी से सम्बद्ध प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी शहीद सोहनलाल पाठक के, जिन्हें देश द्रोही के अपराध में 1915-16 में मांडले जेल (बर्मा) में मृत्यु दण्ड दिया गया था, मुकदमे सम्बन्धी पूरा अभिलेख सरकार के पास है;

(ख) यदि हां, तो यह किस कार्यालय में उपलब्ध है;

(ग) यदि नहीं, अभिलेखों अथवा उनकी प्रतिलिपियों अथवा फोटोस्टेट प्रतियों (माइको फिल्म) को प्राप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और (घ) क्या भारत के राष्ट्रीय अभिलेखा-गार, नई दिल्ली को इन अभिलेखों को प्राप्त करने के लिये कहा गया है अथवा कहा जा रहा है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत की जा रही है और पटल पर रख दी जाएगी।

Azhikal Port

517. SHRIMATI SUSEELA GOPALAN :

SHRI C. K. CHAKRAPANI :

Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) whether Messrs Limex of the German Democratic Republic offered to do consultancy work of investigation, soil testing, model experiments, preparation of detailed project reports and execution of works for Azhikal Port in Kerala for a sum of Rs. 1,00,000;

(b) if so, whether this offer has been considered by Government;

(c) whether the Central Government have received any representation from the Kerala Government regarding this; and

(d) if so, the steps taken in the matter ?

THE MINISTER OF TRANSPORT AND SHIPPING (DR. V. K. R. V. RAO): (a) to (d) The Government of Kerala approached the Government of India in September 1967 for approval of a proposal to appoint Messrs Limex of the German Democratic Republic as harbour engineering Consultants to the State Government, involving foreign exchange expenditure to the extent of Rs. one lakh towards the payment of fees to the firm. The Government of India advised the State Government thay thay might appoint as Consultant a suitable Officer from amongst retired harbour Engineers in India or appoint one of the Consultant firms in India, like Messrs Home Indi + (Private) Ltd. or Messrs Bertlin and Partners.

MEDFUM OF INSTRUCTION FOR HIGHER EDUCATION IN SCIENCE

518. DR. RANEN SEN : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether the Round Table on Science and Science Teaching held recently in